राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः—एफ.4(1)(310)पो. / SHG / मबावि / 2007 / पार्ट—III / 5745-5777 जयपुर, दिनांक 25.1.16

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

विषयः—पूरक पोषाहार योजना में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु "अक्षय पात्र" योजना प्रारम्भ करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाओं में जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफ.11 / 152 / 2015-CD-I दिनांक 17.11.2015 के द्वारा कुछ अन्य राज्यों में अपनाई जा रही "अक्षय पात्र" योजना को राजस्थान राज्य में भी प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश प्रदान किये गये है। इस योजनान्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र के अन्दर एक पात्र "अक्षय पात्र" रखने का सुझाव दिया गया है। अक्षय पात्र एक सामान्य आकार की फल रखने वाली टोकरी / छींके के समान पात्र होगा, जिसमें जन समुदाय के सहयोग से फल, अन्य खाने योग्य वस्तुऐ एवं आंगनबाडी केन्द्रों हेतु उपयोगी अन्य सामग्री एकत्रित की जा सकें। इसका क्रय जन सहयोग अथवा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध फलैक्सी फण्ड से किया जा सकता है। "अक्षय पात्र" में प्राप्त होने वाले फलों एवं अन्य खाद्य सामग्री का अभिलेख पंजिका में संधारित किया जायेगा तथा प्राप्त सामग्री का वितरण आंगनबाडी कार्यकर्ता / सहायिका द्वारा लाभान्वितों को किया जायेगा। इस योजना से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होना अपेक्षित है :—

1. इससे लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन को अधिक पौष्टिक बनाने के साथ—साथ दानदाता में गर्व एवं विश्वास उत्पन्न होगा।
2. बच्चों में सब्जियां खाने की आदत विकसित होगी।
3. इससे समेकित बाल विकास सेवाएं योजना में जन सहभागिता को प्रोत्साहन मिलेगा। जो कि योजना का मूल आधार है।
4. इससे बच्चों में आंगनबाडी केन्द्रों में सहयोग करने एवं समूह व्यवहार की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा।
5. आंगनबाडी कार्यकर्ता को बच्चों, गर्भवती / धात्री महिलाओ को दैनिक संतुलित आहार में सब्जियों / फलों की उपयोगिता समझाने में मदद मिलेगी।

"अक्षय पात्र" में प्राप्त होने वाले फलों एवं अन्य खाद्य सामग्री को साफ, सफाई एवं हाईजनिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लाभान्वितों मे वितरण से पूर्व आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त खाद्य सामग्री के उपयोग से लाभान्वितों को किसी भी प्रकार की हानि सम्भावित न हो।

अतः इस संबंध में प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर उक्त योजना का प्रभावी क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु सभी अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश जारी कराते हुए इस योजना का प्रचार प्रसार जन समुदाय मे भी करावें।

25/1/16
(एम.पी. स्वामी)
निदेशक

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in

D:\ADN\All Letter 2015.docx193

5778-6197

क्रमांकः—एफ.4(1)(310)पो. / SHG / मबावि / 2007 / पार्ट—III / जयपुर, दिनांकः— 25.1.16

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 17.11.2015 के क्रम में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
8. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

(डॉ. ब्रज भूषण शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)